प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रकिया सहिंता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. (जिला) ..**चौकी, भ्र.नि.ब्यूरो, सवाई माधोपुर**....(थाना) ...**प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि. ब्यूरो, जयपुर।**
(प्र.सू.रि.स.) .... 369/2024 (दिनांक) 20/9/2022

2.(अधिनियम)..... **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018** ....(धाराए)............**7 (सी)., 13(1)(ए).**
(अधिनियम).. (धाराए)......................... **120 बी.भा.द.स.**

3. (क) (दिन)..................... (दिनांक से).वर्ष-.2020-21.....(दिनांक तक)...................................
(ख) (पहर) ....(बजे से)...................................... (बजे तक) ....
(ग) (थाने पर प्राप्त सूचना)....................(दिनांक) 13.01.2022 (समय) ....
(रोजनामचा संदर्भ) ....(प्रविष्टि सं.) ....374..(समय) ....5:30 P.M.

4. (सूचना कैसे प्राप्त हुई) (लिखित/मौखिक)........................**लिखित रिपोर्ट** ....

5. घटना का ब्योरा (थाने से दिशा व दूरी).....**बजानिव दक्षिण-पूर्व, दूरी करीब 160 कि.मी....**
(ख) (पता)................. **नगर परिषद बांरा..............**
(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तब उस) ....
(थाने का नाम) ....**(जिला)** ....

6. (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाला)
(क) (नाम) ....**जरिये सरकार (श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाईमाधोपुर**
(ख) (पिता/पति का नाम)..
(ग) (जन्म तिथि/वर्ष).............) (राष्ट्रीयता)...................**भारतीय**..............................
(ड.) (पासपोर्ट सं.) ....
(जारी करने की तिथि) ....(जारी करने का स्थान) ....
(च) (व्यवसाय) राजकीय सेवा...............................
(छ) (पता).. **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाईमाधोपुर**

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूर्ण विवरण)
(यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)

1. **श्री मनोज कुमार मीणा पुत्र श्री बाबूलाल, उम्र-30 वर्ष, जाति-मीणा निवासी- ग्राम-मण्डा पोस्ट- अलियारी तह0टोडारायसिह जिला टोक हाल- आयुक्त नगर परिषद बांरा, जिला-बारां**
2. **श्री नरसी लाल स्वामी पुत्र श्री सत्यनारायण स्वामी, उम्र-38 वर्ष, जाति-स्वामी, निवासी-ग्राम पोस्ट नारौली चोड तह0 बामनवास जिला सवाईमाधोपुर, हाल- सफाई निरीक्षक, नगर परिषद बांरा, जिला-बारां**
3. **श्री नरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री भेरूलाल शर्मा उम्र-57 वर्ष जाति- ब्राहमण निवासी-कृष्णा कॉलोनी हॉस्पिटल रोड डॉ0 कुशवाह की गली बांरा ,हाल- कनिष्ठ लिपिक नगर परिषद बांरा, जिला-बारां**
4. **सवेदंक कमंश-मै0 इण्डियन फायर एण्ड सैप्टी सर्विसेज, मै0जाहीद अली अन्ता, मै0देव एण्ड कम्पनी एव अन्य**

8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) ....
9. (चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें) ....
10. चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य
11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) (यदि कोई हो तो)
12. (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)

महोदय,

निवेदन है कि परिवादीगण श्री दिलिप शाक्यावाल नेता प्रतिपक्ष पार्षद नगर परिषद बारा एवं श्री विजय पिपलानी पार्षद वार्ड नं0 43, श्री तरूण सुमन वार्ड पार्षद 39 ,सन्तोष गौतम वार्ड पार्षद 38 ने एक शिकायत मनोज मीणा आयुक्त नगर परिषद बारा व अन्य द्वारा नगर परिषद् बारां में भ्रष्टाचार एवं पद का दुरूपयोग करने के सम्बन्ध में ब्यूरो में शिकायत प्रस्तुत करने पर परिवाद संख्या 31/21 विरुद्व मनोज कुमार मीणा आयुक्त नगर परिषद बांरा एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज होकर प्रांसगिक पत्र से श्री चन्द्रशील अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो कोटा को प्राप्त हुआ, जिनके द्वारा दौरानें जांच परिवाद से सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त किया गया एवं मौका रिपोर्ट मुर्तिब की गयी एवं परिवादियों के कथन लिये गये। इसके पश्चात् प्रांसगिक पत्र दिनांक 13.01.2022 से परिवाद अग्रिम जांच/सत्यापन हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुआ। दौराने जांच मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्राप्त रिकार्ड का अवलोकन किया एवं बारां पहुंकर मौका देखा गया एवं सम्बन्धितों के कथन लिये गये, आरोपिगणों से स्पष्टीकरण प्राप्त किये गये।आरोप–1:–साई मन्दिर के प्रांगण मे पूर्व से निर्मित शौचालय का 2021 में नगर परिषद द्वारा टैन्डर वर्क ऑर्डर जारी कर नया शौचालय निर्माण दिखाकर भुगतान उठाया गया जबकि उक्त शौचालय पूर्व मे साई समिति के सदस्यो व जनसहयोग से बना हुआ था। तथा पहले से ही बने हुये शोचालय मे सामान्य मरम्मत के लिये मार्च 2020 मे मात्र प्लास्टर व टाईल्स का कार्य जनसहयोग से कराया गया था जो भी मार्च 2020 मे शुरू होकर अप्रेल 2020 मे ही पूर्ण हो चूका था। नए बोर्ड गठन के बाद 2021 मे साई मन्दि के पास शौचालय निर्माण का 4 लाख 98 हजार का टैन्डर लगाकर पूर्व से निर्मित शौचालय का भुगतान उठा लिया गया,नगर परिषद द्वारा 2021 मे शौचालय निर्माण का कोई कार्य नही कराया गया फर्जी टैडंर लगाकर पूर्व मे निर्मित शौचालय का भुगतान उठा लिया गया।सत्यापन टिप्पणी–परिवादीगणो द्वारा लगाये आरोप साई बाबा मंदिर प्रांगण मे निर्मित शौचालय मे वर्षो पूर्व जीर्णशीर्ण अस्थाई शौचालय बना हुआ था जिसके सन्दर्भ में मौके पर भौतिक सत्यापन किया गया, मौका रिर्पोट बनाई गई तथा मंदिर के पुजारी श्री सुरेश शर्मा पुजारी ने मौके पर बताया कि तीन वर्ष से मंदिर की देखभाल करना व उक्त शौचालय दो वर्ष पूर्व नगर परिषद चैयरमैन द्वारा बनना बताया तथा विगत दो वर्षो मे उक्त शौचालय मे कोई कार्य किसी भी विभाग द्वारा नही करवाना बताया। जिसका आरोपीगणो ने अपने स्पष्टीकरण में निविदा संख्या 9/21–22 दिनांक 6.5.2021 जारी करवा कर राज कन्स्ट्रंक्शन कम्पनी को नियमानुसार कार्यालय आदेश कमांक 21/136 दिनाक 13.5.2021 लागत 5,20481/–रूपये कार्य आदेश देकर साई बाबा मन्दिर प्रांगण मे शौचालय निर्माण करवाया गया था। श्रीमति सीमा कुमारी कनिष्ठ अभियन्ता ने अपने बयानो मे बताया कि उक्त शोचालय का निर्माण मेरे निर्देशन मे हुआ है जिसका कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका मे इन्द्राज किया गया है निर्माण पुराने जीर्ण शीर्ण शौचालय को नीव से छत तक का निमार्ण नगर परिषद की निविदा के अनुसार होना बताया है। पुजारी व नगर परिषद के कथनो मे विरोधाभास है। इससे प्रमाणित है कि उक्त कार्य के निर्माण व भुगतान में नगर परिषद आयुक्त व कर्मचारीयो ने मिलिभगत कर पद का दुरूपयोग कर राजकोष को नुकसान कारित किया है। तथा पूर्व में निर्मित शौचालय का फर्जी भुगतान उठाना प्रमाणित है। आरोप–2 बाबजी नगर तलवाडा रोड पर 33 केवी व 11 केवी पोल व लाईन सिप्टिग का कार्य चल रहा है उक्त कार्य एक निजी कॉलोनाईजर की ब्रहम पुरी कॉलोनी मे कराया गया है जिसके लिये नगर परिषद से 12 लाख का टैन्डर निकाला गया व विधुत विभाग मे भी डिंमान्ड जमा कराया गया इस प्रकार जनता की सरकारी राशि का पद के दुरूपयोग कर कालोनी मालिक को अनुचित लाभ पहुचाया जा रहा है। ये कार्य विधुत विभाग के अर्न्तगत आता है। नगर परिषद के कार्य क्षेत्र से बाहर है दूसरा निजी नई काटी गई कॉलोनी जिसमे एक भी मकान बना हुआ नही है। प्लाटो के मध्य आ रही विधुत लाईन व पोल को नगर परिषद की सरकारी राशि का दुरूपयोग कर हटाना तथा कालोनाईजर के प्लाटो की कीमत बढ जाये ये पद का दुरूपयोग के साथ भ्रष्टाचार है। सत्यापन टिप्पणी –परिवादीगणो द्वारा लगाये आरोप तलावडा रोड पर स्थित देवनगर कॉलोनी का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया। जहां पर वर्तमान में कुछ मकान बने हुये है अन्य प्लाट खाली है।उक्त कार्य का रिकार्ड नगर परिषद से प्राप्त किया गया रिकार्ड के अनुसार उक्त कॉलोनी खसरा नम्बर 145 क्षेत्रफल 2.61 हैक्टीयर है जिसका नगर परिषद बारां द्वारा सोमोटो स्तर पर कार्यवाही करके **90(क)** के आदेश जारी करके ले–आउट प्लान अनुमोदित किया गया था। इसके सम्बन्ध मे कॉलोनाईजर द्वारा किसी प्रकार का आवेदन नही किया गया था। मुख्यमंत्री जनकल्याण शिविर के दौरान लोगो को पट्टा जारी कर लगभग 62 लाख की आय प्राप्त हुई थी जिसके कुल 127 पट्टे जारी किये गये। जिसका विवरण वर्ष 2019–20 की केश बुक मे इन्द्राज होना बताया है। दिनांक 14.9.2020 को कॉलोनीवासी श्री योगेश कुमार, जमनाशंकर, रामदयाल, मनोज शर्मा आदि द्वारा आयुक्त नगर परिषद बांरा को एक प्रार्थना पत्र कॉलोनी के मकान के उपर से 33 केवी व

11 केवी विधुत लाईन को शिप्ट करवाने हेतु पेश किया था, जिसपर नगर परिषद द्वारा दिनांक 21.10.2020 को निविदा संख्या निमार्ण/46/20–21 के द्वारा निविदा प्रकाशित की गई। जिसमे नियमानुसार न्यूनतम दर दाता तमन्ना इलेक्ट्रीकल्स को कार्य आदेश कमांक न.प. बा/निमार्ण/2020/320 दिनांक 11.01.2021 लागत 1259034/–रूपये का कार्य आदेश दिया गया था जिस पर सवैदक द्वारा कार्य पूर्ण कर 892182/–रूपये का बिल पेश किया जिसको माप पुस्तिका नं0 320 पेज नं 21 से 32 पर इन्द्राज कर बिल लेखा शाखा को भिजवाया गया जिसका लेखा शाखा द्वारा नियमानुसार कटौतीया कर शेष बिल 820807/–रूपये का भुगतान जरिय चैक किया गया। नगर परिषद से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार 90(क) पत्रावली मे सर्वे रिर्पोट नही है, जिससे यह अनुमान नही लगाया जाता कि कॉलोनी मे कितने मकान का निमार्ण हो चुका था। जबकि नियम यह है कि किसी कॉलोनी मे 60 प्रतिशत मकान बनने पर नगर परिषद सोमोटो के आधार पर कॉलोनी को 90(क) कर सकती है। तथा नगर परिषद ने उक्त कॉलोनी को 90क सोमोटो से करना बताया है, आरोपीयो के स्पष्टकरण मे भी 90क सोमोटो करना लिखा है। परन्तु नगर परिषद से प्राप्त पत्रावली मे नगर परिषद द्वारा जारी लोक सूचना पत्राक 9393–94 दिनांक 4.7.18 मे श्री भैरूलाल पुत्र लक्ष्मण जाति गडरिया निवासी बारां द्वारा आवेदन प्रस्तुत करना पाया गया है। तथा दिनांक 14.9.2020 को कॉलोनीवासी श्री योगेश कुमार, जमनाशंकर, रामदयाल, मनोज शर्मा आदि द्वारा आयुक्त नगर परिषद बांरा को एक प्रार्थना पत्र कॉलोनी के मकान के उपर से 33 केवी व 11 केवी विधुत लाईन को शिप्ट करवाने हेतु पेश किया था उक्त प्रार्थना पत्र शिकायत होने के बाद लेना प्रतित होता है क्योकि उक्त प्रार्थना पत्र किसी भी सक्षम अधिकारी /चैयरमैन द्वारा पृष्ठाकित नही किया गया ना ही नगर परिषद के कार्यालय रिकार्ड रिस्पीट/नोटशीट मे उल्लेख है। इससे से स्पष्ट है कि पत्रावली व स्पष्टीकरण मे विरोधाभास है,उक्त कॉलोनाईजर को अनुचित लाभ पहुचाने के उद्देश्य से नगर परिषद के अधिकारी/कर्मचारीयो ने मिलिभगत कर उक्त कॉलोनी को नियम विरूद्व 90(क) किया गया है। नगर परिषद द्वारा सोमोटो की कार्यवाही नही करके कॉलोनाईजर के आवेदन पर कॉलोनी को 90(क) किया जाता तो राजकोष को अधिक आय प्राप्त होती परन्तु अधिकारीयो ने सोमोटो करके राजकोष मे हानि कारित की है। आरोप–3 :–न्यू सिविल लाईन मे फेसिग कार्य जो 4 लाख 95 हजार का 2021 मे टैडर लगाकर वर्क ऑडर जारी कर भुगतान उठा लिया गया जबकि उक्त कार्य 2019 मे ही जन सहयोग से तत्कालिन जिला कलक्टर इन्दर सिह राव के निर्देशन मे हो गया थ उस वक्त जनसहायोग से इस पूर्व से निर्मित बांउडरी शुदा ग्रांउन्ड पर मात्र फेसिग कराई गई थी जबसे आसपास के नागरीक व सरकारी कर्मचारी इस ग्राउड में खेल हेतु इसका उपयोग करते आ रहे है।सिविल लाईन एरिया मे फेन्सिग के पुराने कार्य का नए सिरे से टैडर लगाकर वर्कऑडरजारी करना व भुगतान उठा लेना ये जनता के पेसो की बर्बादी ओर सुनियोजित भ्रष्टाचार है। सत्यापन टिप्पणी –उक्त आरोप के सन्दर्भ मे नगर परिषद से प्राप्त रिकार्ड अनुसार जिला कलैक्टर बांरा द्वारा बैठक दिनांक 27.01.2020 के बिन्दु संख्या 14 में नगर परिषद आयुक्त को निर्देशित किया कि सिविल लाईन मे स्थित टैनिस ग्राउण्ड की सफाई,लाईट एव मरम्मत/विकास कार्य करवाये जाये। जिस पर नगर परिषद द्वारा दिनाक 14.1.2021 को निविदा संख्या 53/20–21 को निविदा आमन्त्रित की गई जिस पर न्यूनतम दर दाता मै0जाहीद अली अन्ता को कार्य आदेश कमांक न.प.बा/निमार्ण/20/7176 दिनांक 2.2.2021 फेसिग वर्क इन न्यू सिविल लाईन्स मे कार्य हेतु दिया गया था। संवेदक द्वारा कार्य करने पर नियमानुसार कार्य का मेजरमैन्ट करवा कर माप पुस्तिका कमांक 191 के पेज नं0 96 से 99 पर दर्ज किया जिस पर सम्बधितो के हस्ताक्षर है। कार्य पूर्ण करने पर 517730/– का फाईन बिल जारी किया गया जिस पर कटौती राज्य सरकार द्वारा जारी करो की कटौती कर संवेदक को जरिये चैक 440071/–रूपये भुगतान किया गया। मौके पर जाकर किये सत्यापन से एमबी में अंकित माप अनुसार कार्य किया हुआ है। कार्य के भौतिक सत्यापन से कार्य कब करवाया गया कि स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती है। प्राप्त रिकार्ड अनुसार उक्त कार्य करवाने से सम्बन्ध में नगरपरिषद बारां द्वारा पूर्व में कोई भुगतान नहीं उठाया हुआ है। आरोप–4:–न्यू सिविल लाईन मे ड्रेन कवर कार्य नाली ढकन कार्य 1 लाख 85 हजार का ये कार्य भी इसी बास्केट बाल ग्राउड के बाहर का है।फेन्सिग की तरह ये भी पूर्व से 2019 का ही कार्य है। इसका भी 2021 मे टैन्डर लगाकर भुगतान उठा लिया गया ओर पैसे मिलकर हडप लिये जबकि ये कार्य पूर्व से हो रखा था। जबकि आज दिनांक तक नाली व कवर सम्बंधी कोई काम नही हुआ है। सत्यापन टिप्पणी –परिवादीगणो द्वारा लगाये उक्त आरोप के सन्र्दभ मे नगर परिषद से रिकार्ड प्राप्त किया जिसमे जिला कलैक्टर बांरा द्वारा बैठक दिनांक 27.01.2020 के बिन्दु संख्या 14 के द्वारा नगर परिषद आयुक्त को निर्देशित किया गया था सिविल लाईन मे स्थित टैनिस ग्राउण्ड की सफाई,लाईट एव मरम्मत/विकास कार्य हेतु निर्देश प्रदान किये थे। जिस पर नगर परिषद द्वारा दिनाक 14.1.2021 को निविदा संख्या 53/20–21 को निविदा आमन्त्रित की गई जिस पर न्यूनतम दर दाता

मै0जाहीद अली अन्ता को कार्य आदेश कमांक न.प.बा/निमार्ण/20/7177 दिनांक 2.2.2021 फेसिग वर्क इन न्यू सिविल लाईन्स मे कार्य हेतु दिया गया था। संवेदक द्वारा कार्य करने पर नियमानुसार कार्य का मेजरमैन्ट करवा कर माप पुस्तिका कमांक 15ए के पेज नं0 12 से 13 पर दर्ज किया जिस पर सम्बधितो के हस्ताक्षर है। कार्य पूर्ण करने पर 194911/– का फाईनल बिल जारी किया गया जिस पर कटौती राज्य सरकार द्वारा जारी करो की कटौती कर संवेदक को जरिये चैक 165675/–रूपये का भुगतान नगर परिषद द्वारा किया गया। मौके पर जाकर किये सत्यापन से एमबी में अंकित माप अनुसार कार्य किया हुआ है। कार्य के भौतिक सत्यापन से कार्य कब करवाया गया कि स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती है। प्राप्त रिकार्ड अनुसार उक्त कार्य करवाने से सम्बन्ध में नरग परिषद बारां द्वारा पूर्व में कोई भुगतान नहीं उठाया हुआ है। आरोप 5–कोटा रोड स्थित कायन हाउस जो मिनी गौशाला के रूप मे संचालित है। वहा एक व्यक्ति हेमराज श्रमिक के रूप मे 24 घन्टे वही निवास कर के वहा मौजुद गायो की देखभाल का काम करता है।परन्तु नगर परिषद ने 20 श्रमिको का प्लेसमेन्ट टैन्डर कर रखा है 19 श्रमिको का भुगतान फर्जी 1 लाख रूपये हर माह उठा रहे है। सत्यापन टिप्पणी –परिवादीगणो द्वारा लगाये उक्त आरोप के सन्र्दभ मे नगर परिषद से रिकार्ड प्राप्त किया तथा ठेकेदार व श्रमिको के बयान लेखबद्व कर रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिसमे नगर परिषद द्वारा दिनांक 16.3.2021 को ऑन लाईन निविदा निकाली गई थी जिसमे मै0देव एण्ड कम्पनी द्वारा निविदा शुल्क,अमानत राशि,आरआईएसएल फीस एडीपी ऑन लाईन पोर्टल पर टैन्डर फिड कर हार्ड कॉपी दिनांक 26.3.2021 को जमा होने पर तकनीकी बिड खोल कर फर्म की प्राईज बिड खोल कर न्यूनतम दर दाता को दर कम करने हेतु नगर परिषद द्वारा नेगोशिएशन पत्र दिनांक 1.4.2021 को दर कम करने हेतु लिखा गया था, जिसपर दिनांक 5.4.2021 को दर कम करते हुये पत्र प्राप्त कर दिनांक 6.4.2021 को कार्य आदेश जारी किया जिसमे 15 कुशल व 5 अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने का दिया गया था। फर्म द्वारा कायन हाउस मे श्रमिक उक्त फर्म द्वारा लगाये जाते है जिसका भुगतान फर्म द्वारा करना होता है। प्रतिमाह फर्म द्वारा बिल पेश करने पर नरेन्द्र शर्मा द्वारा कार्य का प्रमाणिक रिपोर्ट पेश करने पर बिल लेखाशाखा को भुगतान हेतु भिजवाने पर नगर परिषद द्वारा जरिये चैक प्रतिमाह 175956/–रूपये भुगतान किया गया है।इस सम्बन्ध में कायन हाउस में कार्यरत नन्दकिशोर पुत्र देवचन्द, सुल्तानी देवी पत्नि हेमराज के कथन लिये गये, जिन्होनें बताया कि हम कायन हाउस में कार्य करते है, यदि नगर परिषद् क्षैत्र में कही पर कोई जानवर बिमार हो जाता है या घायल हो जाता है तो उसका ईलाज भी हम लोग ही करवाते है। जिनका हमें प्रतिमाह 5500 रूपये मिलते है, हमारे अतिरिक्त 15–20 अन्य व्यक्ति भी कार्य करते है, परन्तु हेमराज पुत्र धन्नालाल एवं राजकुमार पुत्र हेमराज ने बताया कि हमारे अलावा यहां कोई काम नहीं करता है, सम्भवतया ठेकेदार द्वारा कार्य की अधिकता के हिसाब से मजदूर लगाये एवं हटाये जा रहे है।तथा मन अतिरिक्त पुलिस के जांच हेतु दिनांक 18.1.2022 व 9.2.2022 को दौराने भोतिक सत्यापन हेतु मौके पर उपस्थिति के दौरान भी उक्त कायन हाउस मे 15–20 व्यक्ति कार्य करते हुये नही पाये गये है। मजदुरों की उपस्थिति एवं कार्य की समीक्षा हेतु नगर परिषद् बारां द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक को मनोनीत किया हुआ था,। आयुक्त नगर परिषद बारां व नरेन्द्र शर्मा कनिष्ठ सहायक द्वारा मै0देव एण्ड कम्पनी सें मिलीभगत कर अनुचित लाभ पहुचाना पाया गया है। आरोप 6–पार्को मे लगभग 80 कर्मचारीयो का प्लेसमेन्ट से ठेका किया हुआ है परन्तु मोके पर 10 से 11 पार्क श्रमिक लगाये रखे हे यही इनमे से एक दीनदयाल पार्क, एक नेहरू पार्क, एक शिवाजी नगर कुल 3 श्रमिक काम करते है। बाकी 7 पब्लिक पार्क स्वामी विवेकानन्द पार्क मे है।जो सभी पार्को मे रोटेट होते है।इस प्रकार से 56 लाख का प्रतिवर्ष का ठेका है ओर प्रतिमाह 467000 रूपये मे से 4 लाख लगभग प्रतिमाह फर्जी बिल उठाया जा रहा है। सत्यापन टिप्पणी– परिवादीगणो द्वारा लगाये उक्त आरोप के सन्र्दभ मे नगर परिषद से रिकार्ड प्राप्त किया तथा ठेकेदार व श्रमिको के बयान लेखबद्व कर रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिसमे नगर परिषद द्वारा दिनांक 16.3.2021 को दो ऑन लाईन निविदा निकाली गई थी जिसमे मै0देव एण्ड कम्पनी द्वारा निविदा शुल्क,अमानत राशि,आरआईएसएल फीस एडीपी ऑन लाईन पोर्टल पर टैन्डर फिड कर हार्ड कॉपी दिनांक 26.3.2021 को जमा होने पर तकनिकी बिड खोल कर फर्म की प्राईज बिड खोल कर न्यूनतम दर दाता को दर कम करने हेतु नगर परिषद द्वारा नेगोशिएशन पत्र दिनांक 1.4.2021 को दर कम करने हेतु लिखा गया था जिसपर दिनांक 5.4.2021 को दर कम करते हुये पत्र प्राप्त कर दिनांक 6.4.2021 को दो कार्य आदेश जारी किये गये जिसमे 50 कुशल व 20 अकुशल सभी पार्को मे उपलब्ध श्रमिक कराने काजारी किया गया था। फर्म द्वारा पार्को मे श्रमिक उक्त फर्म द्वारा लगाये जाते है जिसका भुगतान फर्म द्वारा करना होता है। प्रतिमाह फर्म द्वारा बिल पेश करने पर नरेन्द्र शर्मा द्वारा कार्य का प्रमाणिक रिपोर्ट पेश करने पर बिल लेखाशाखा को भुगतान हेतु भिजवाने पर नगर परिषद द्वारा दो निविदाओ का जरिये चैक से प्रतिमाह 606912/–रूपये का भुगतान किया गया है। इस

सम्बन्ध में सम्बन्धित फर्म के संवेदक उमेश कुमार तंवर एवं पार्क में कार्यरत श्रीमति गायत्री देवी पत्नि पप्पू लाल, हंसराज पुत्र सुरजमल एवं महेन्द्र सिंह पुत्र भूरसिंह के कथन लिये गये जिन्होनें बताया कि बारां में स्थित पार्को की देखरेख हेतु प्रत्येक पार्क में 6–7 व्यक्ति लगाये जाते है, जिनको आवश्यकता अनुसार एक दुसरे पार्क में भी भेज दिया जाता है। ठेकेदार द्वारा पार्को में साफ–सफाइ, पौधों की गुदाई एवं पौधों की कटिंग के लिए आवश्यकता अनुसार मजदुरों की संख्या में बदलाव किया जाता रहता है। मन अतिरिक्त पुलिस के जांच हेतु दिनांक 18.01.2022 व 9.2.2022 को भोतिक सत्यापन के दौरान मौके पर उपस्थिति के दौरान भी उक्त प्रत्येक पार्को मे 6–7 व्यक्ति कार्य करते हुये नही पाये गये है। तथा नगर परिषद के सभी पार्को की वर्तमान स्थिति से यह भी स्पष्ट होता है कि पार्को की देख रेख हेतु इतने श्रमिक नही लगे होगे। यह सही है कि उक्त सभी पार्को मे कार्य हेतु 70 श्रमिक लगाने हेतु नियमानुसार प्रकिया से टेण्डर हुआ है। मजदुरों की उपस्थिति एवं कार्य की समीक्षा हेतु नगरपरिषद् बारां द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक को मनोनीत किया हुआ था।नगर परिषद के अधिकारी/कर्मचारीयो ने आपस मे मिलिभगत करके नियम विरूद्व तरिके से टैण्डर पार्को के लिये श्रमिक लगाने हेतु किया गया था। परन्तु पार्को की वर्तमान स्थिति से स्पष्ट है कि पार्को की देखरेख हेतु 6–7 श्रमिक नही लगे हुये है क्योकि पार्को की साफ सफाई व रख रखाव निम्न कोटी का है। नगर परिषद के अधिकारी व कार्मचारीयो ने मिलीभगत कर ठैकेदार को अनुचित लाभ पहुचाने के लिये इस प्रकार का षंडयन्त्र रच कर राजकोष को अनावश्यक हानी पहुचाई। आरोप 7–घर घर कचरा संघरण वाहनो मे ड्राईवरो के अतिरिक्त हेल्पर के रूप मे एक अन्य प्रत्येक गाडी पर श्रमिक का ठेका 40 हेल्पर का किया हुआ है,ओर मौके पर वास्तव मे एक भी हेल्पर नही लगा रखा है इसका पैसा यह लोग खा रहे है। सत्यापन टिप्पणी –परिवादीगणो द्वारा लगाये उक्त आरोप के सन्र्दभ मे नगर परिषद से रिकार्ड प्राप्त किया तथा ठेकेदार व हेल्परो के बयान लेखबद्व कर रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिसमे नगर परिषद द्वारा दिनांक 5.3.2021 को आनॅ लाईन निविदा अपलोड की गई थी। जिस पर मै0 इण्डियन फायर एण्ड सैप्टी सर्विसेज द्वारा अमानत राशी डी डी नं0 000099 निविदा शुल्क डीडी नं0 000079 ईटेण्डरिग आनलाईन डीडी नं 000096 दिनांक 26.3.2021 को हार्ड कॉपी प्राप्त होने पर न्यूनतम दर दाता को दर कम करने हेतु नेगोशिएशन दिनांक 1.4.2021 को पत्र कमांक 79 जारी किया गया जिस पर दिनांक 6.4.2021 को दर कम करते हुये दर प्रस्तुत की गई। जिसपर संवेदक को कार्य आदेश कमांक न.प. बा/पुल/236 दिनांक 12.4.2021 से कार्य प्रारम्भ करने का कार्य आदेश मे 33 हेल्पर उपलब्ध कराने का जारी किया था। फर्म द्वारा 33 हेल्पर लगाये गये जिनका उपस्थिति रजिस्टर मे नाम इन्द्राज है जिसका भुगतान फर्म द्वारा करना होता है। प्रतिमाह फर्म द्वारा बिल पेश करने पर नरेन्द्र शर्मा द्वारा कार्य का प्रमाणिक रिपोर्ट पेश करने पर बिल लेखाशाखा को भुगतान हेतु भिजवाने पर नगर परिषद द्वारा निविदाओ का जरिये चैक से प्रतिमाह 296543/–रूपये का भुगतान किया गया है। स्वच्छता अभियान के तहत आमजन को जागरूक करने हेतु नगर परिषद द्वारा घर–घर कचरा संग्रहण एवं सग्रहित कचरे को गिले व सुखे का अलग–अलग करने हेतु एक –एक हेल्पर नगर परिषद के 33 वाहनो पर लगाये गये थे। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित फर्म संवेदक श्री मुकेश कुमार मीणा एवं हेल्पर विकास कुमार पुत्र शोभाग, अर्जुन कुमार पुत्र अशोक कुमार के कथन लिये गये, जिन्होनें ने नगर परिषद् क्षैत्र में 33 वाहनों का संचालन होना तथा प्रत्येक वाहन पर सुखा व गीला कचरा अलग–अलग करने हेतु 1–1 हैल्पर होना कहा है एवं प्रतिमाह संवेदक से 5500 रूपये प्राप्त करना कहा है। आरोप 8–नगर परिषद बांरा मे नाला सफाई के काम ठैकेदार से मिलिभगत कर फर्जी भुगतान उठा लिया,उक्त कार्य मे जिन नालो की सफाई का काम कराया जाना था। वो सभी नालो की सफाई न करके मुख्य बाजार मे ही खानापूर्ति सफाई कर इतिश्री कर ली 60 लाख रूपये का टेन्डर किया गया जिसमे बताये व दर्शाए गये नालो की सफाई नही कराई ओर भुगतान पूरा उठा लिया गया तथा यह कार्य टैन्डर निर्माण शाखा से तकनिकी मेजरमैन्ट के अनुसार होना था पर सिधे बिना मेजरमेन्ट नाप के ही कचरा सफाई का सीधा भुगतान उठा लिया न तो तकनिकी रूप से कचरा निकालने व डपिग करने का एम बी मे मेजरमेन्ट नही किया । श्रमिक हेल्पर कर्मचारी व सफाई सम्बंधी सभी कार्य का ठेका मुकेश मीणा को दिया हुआ है जो इनका पार्टनर है।सत्यापन टिप्पणी –परिवादीगणो द्वारा लगाये उक्त आरोप के सन्र्दभ मे नगर परिषद से रिकार्ड प्राप्त किया तथा ठेकेदार व श्रमिको के बयान लेखबद्व कर रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिसमे नगर परिषद क्षेत्र मे छोटे व बडे नालो की प्रति वर्ष सफाई कराई जाती है आम जन को राहत देने के उद्वेश्य से नगर परिषद द्वारा अलग–अलग नालो की 8 कार्यो मे विभाजित कर ऑन लाईन निविदा जारी की गई जिसमे मै0 इण्डियन फायर एण्ड सैप्टी सर्विसेज को न्यूनतम दर प्रति ट्रोली दर 3300/–रूपये का कार्य आदेश जारी किया गया था। नालो की सफाई सफाई श्रमिको से सम्बन्धित है ओर सफाई श्रमिको से कराया जाना उचित रहता है अतः पालिकाओ मे परम्परागत रूप से जोब वर्क

से कराया जाता है। इस लिये प्रति ट्रोली कार्य आदेश जारी किया गया जिस पर कार्य पूर्ण होने पर सफाई निरीक्षक नरसी स्वामी द्वारा सत्यापन रिपोर्ट पेश करने पर नगर परिषद ने सवेदक को जरिये चैक 48,50000/–रूपये का राज्य सरकार की कटौतिया करके भुगतान किया गया। मुकेश मीणा के साथ आरोपीयो की पार्टनरशिप होने के दस्तावेजान प्राप्त नही हुये है ना ही परिवादीगणो ने इस सन्दर्भ मे पत्रादि पेश किये है। जांच से पाया गया कि नाला सफाई में नगर परिषद् द्वारा टेण्डर प्रक्रिया में प्रति ट्रोली 3300 रूपये का टेण्डर किया गया, जबकि कार्य का रंनिग मीटर/प्रति स्क्वायर मीटर से टेण्डर करवाया जाना चाहिये था, यदि नाले का नाप–चौप निकालकर उसके अनुसार टेण्डर किया जो नियम विरूद्व है। आरोप–9 :–विभिन्न स्कूलो मे मरम्मत कार्य 3 लाख 95 हजार का टैंडर लगाकर भुगतान उठा लिया जबकि किसी भी स्कूलो मे कोई कार्य नही हुआ फर्जी भुगतान उठाया गया, सर्वप्रथम तो स्कूलो मे काम नगर परिषद के अधिकारी से बाहर है ये शिक्षा विभाग का कार्य है।दूसरा स्कूलो मे कोइ मरम्मत का कार्य नही कराया गया यह भी स्कूलो के नाम से भ्रष्टाचार है। सत्यापन टिप्पणी –जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देशित करने पर मतदान केन्द्र के रूप मे उपयोग मे लि गई स्कूलो मे अति आवश्यक टूट–फूट,मरम्मत,पुताई,रेम्प बनवाने हेतु नगर परिषद द्वारा निविदा सख्या निमार्ण/09/21–22 दिनांक 29.4.2021 को जारी की कर न्यूनतक दर दाता मै0गोरव कन्स्ट्रंक्शन कम्पनी बारा को कार्य आदेश कमांक 135 दिनांक 19.5.2021 राशि 411943/–रूपये का जारी किया गया जिसपर उक्त सवेदक द्वारा कार्य पूर्ण करने पर बिल प्राप्त होने पर माप पुस्तिका सख्या 211 पेज संख्या 90 से 97 पर इन्द्राज किया गया जिस पर सम्बधितो के हस्ताक्षर है। उक्त कार्य का बिल 180672/–रूपये का हुआ जिस मे राज्य सरकार की कटौतिया करने के पश्चात 163237/–का भुगतान जरिये चैक हुआ।उक्त कार्य मतदान अति आवश्यक होने से जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार करवाये गये है, निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित शाला प्रधान द्वारा कार्य पूर्ण हो जाने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिया हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य करवाये गये है। परन्तु सम्बधित शालाओ के द्वारा जारी कार्य करवाने सम्बधित प्रमाण पत्र के अवलोकन किया गया तो अधिकांश पर प्रमाण पत्र जारी करने सम्बधित दिनांक का ईन्द्राज नही है तथा कुछ पर इन्द्राज है तो दिनांक 3.02.2022 व 04.02.2022 इन्द्राज है इससे स्पष्ट होता है कि ब्यूरो मे उक्त कार्मिको के विरूद्व परिवाद दर्ज होने के बाद पद का दुरूपयोग करके उक्त शाला प्रधानो से प्रमाण पत्र लिखवाया गया है। उपरोक्तानुसार सभी आरोपों के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन किया गया, आरोप संख्या 2 विधुत लाईन सिप्टीग का कार्य मे पत्रावली व स्पष्टीकरणो मे विरोधाभास है इससे स्पष्ट है कि नगर परिषद के अधिकारी/कर्मचारीयो ने कॉलोनाईजर से मिली–भगत कर नियम विरूद्व उक्त कॉलोनी को **90क** किया जाकर राजकोष को नुकसान पहुचाया गया है।

इसी प्रकार आरोप संख्या 5 एवं 6 में टेण्डर के अनुसार संवेदक द्वारा लगाये गये कायन हाउस एवं पार्कों में कुशल/अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति/उपस्थिति के सम्बन्ध में नगर परिषद् द्वारा श्री नरेन्द्र शर्मा कनिष्ठ लिपिक की ड्यूटी थी, उक्त कर्मचारी द्वारा अपने कार्य में लापरवाही बरती गयी है। तथा उक्त स्थानो पर इतने श्रमिको नही लगा कर ज्यादा श्रमिको की उपस्थिति दिखाकर गलत भुगतान उठाया गया है। जिससे यह प्रमाणित है कि आयुक्त नगर परिषद व नरेन्द्र शर्मा आपस मे ठेकेदारो से मिलिभगत की गई है। इसी प्रकार आरोप संख्या 8 नाला सफाई में नाला सफाई में नगर परिषद् द्वारा टेण्डर प्रक्रिया में प्रति ट्रोली 3300 रूपये का टेण्डर किया गया, जबकि नियमानुसार कार्य का रंनिग मीटर/प्रति स्क्वायर मीटर से टेण्डर करवाया जाना चाहिये था, यदि नाले का नाप–चौप निकालकर उसके अनुसार टेण्डर किया जाता तो भुगतान में पारदर्शिता रहती। तथा उक्त कार्य की निगरानी हेतु नगर परिषद द्वारा नरसी लाल सफाई निरीक्षक की ड्यूटी लगाई गई थी, जिस पर कार्य पूर्ण होने पर सफाई निरीक्षक नरसी स्वामी द्वारा सत्यापन रिपोर्ट पेश करने पर नगर परिषद द्वारा सवेदक को भुगतान किया गया जिसमे श्री नरसी स्वामी सफाई निरीक्षक द्वारा आयुक्त व सवेंदक से मिलिभगत करके काम मे लापरवाही की जाकर सत्यापन रिपोर्ट पेश की है जिस पर संवेदक को भुगतान किया गया जिसमे राज्य सरकार को आर्थिक नुकासन होना पाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि नगर परिषद् अधिकारी/कर्मचारीगणों संवेदक को अनावश्यक लाभ पहुंचाने के लिए नियम विरूद्ध टेण्डर किया है। इसी प्रकार आरोप संख्या 9 विभिन्न स्कूलो मे मरम्मत कार्य मे मौके पर कार्य किया गया है इससे सम्बंधित प्रमाण पत्र नगर परिषद के अधिकारीयो ने कार्य पूर्ण करने के उपरान्त प्राप्त नही किया तथा ब्यूरो मे परिवाद दर्ज होने के उपरान्त पद का दुरूपयोग करके शाला प्रधानो से प्रमाण पत्र लिया गया है। इससे स्पष्ट होता है उक्त विभिन्न स्कूलो मे किये गये मरम्मत कार्यो में मिलिभगत करके पद का दुरूपयोग किया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण सत्यापन से परिवादीगणो द्वारा प्रेषित परिवाद में 9 आरोप लगाये गये थे, जिनमें से 4 आरोप मे लापरवाही व आंशिक प्रमाणित पाये गये है एवं आरोप संख्या 2, 5, 6,8 एवं 9 में नगर परिषद् कर्मचारियों द्वारा

लापरवाही एवं नियम विरूद्ध कार्य करना व राजकोष को अनुचित हानि कारित करना व स्वंय व अपने चहेते संवेदको को अनुचित तरीके से लाभ प्राप्त करना पाया गया।

अभियुक्तगण सर्वश्री 1. श्री मनोज कुमार मीणा पुत्र श्री बाबूलाल, उम्र–30 वर्ष, जाति–मीणा निवासी– ग्राम–मण्डा पोस्ट– अलियारी तह0टोडारायसिह जिला टोक हाल– आयुक्त नगर परिषद बांरा 2. श्री नरसी लाल स्वामी पुत्र श्री सत्यनारायण स्वामी, उम्र–38 वर्ष, जाति–स्वामी, निवासी–ग्राम पोस्ट नारौली चोड तह0 बामनवास जिला सवाईमाधोपुर हाल– सफाई निरीक्षक, नगर परिषद बांरा 3.श्री नरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री भेरूलाल शर्मा उम्र–57 वर्ष जाति– ब्राहमण निवासी–कृष्णा कॉलोनी हॉस्पिटल रोड डॉ0 कुशवाह की गली बांरा हाल– कनिष्ठ लिपिक नगर परिषद बांरा 4. संवेदक मै0 इण्डियन फायर एण्ड सैप्टी सर्विसेज, मै0जाहीद अली अन्ता, मै0देव एण्ड कम्पनी,एव अन्य का उक्त कृत्य अपराध धारा 7(सी), 13(1)(ए) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.दं.सं. में में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित है।

भवदीय

(सुरेन्द्र कुमार शर्मा)
अति. पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सवाईमाधोपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7(सी), 13(1)(ए) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री मनोज कुमार मीणा पुत्र श्री बाबूलाल, आयुक्त, नगर परिषद, बारां, 2. श्री नरसी लाल स्वामी पुत्र श्री सत्यनाराण स्वामी, सफाई निरीक्षक, नगर परिषद, बारां 3. श्री नरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री भेरूलाल शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद, बारां 4. सवेदंक कमशः मै. इण्डियन फायर एण्ड सैप्टी सर्विसेज, मै. जादीद अली अन्ता, मै. देव एण्ड कम्पनी एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 369/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

20/9/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 3204-09 दिनांक 20.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर।
6. अति. पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(परि.31/21)।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।